महंत सत्यानंद उर्फ़ रामजी सिंह

बनाम

श्याम लाल चौहान और अन्य

फरवरी 08, 2018

[न्यायमूर्तिगण एन 0 वी0 रमना और एस 0 अब्दुल नज़ीर]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: आदेश XXII, नियम 5 – लंबित अपील में विधिक प्रतिनिधि का कार्यान्वयन – उच्च न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दावेदारों द्वारा पसंद किए गए पक्षकार आवेदनों की अनुमति दी, जिससे सीसी दोनों दावेदारों को यह निर्धारित किए बिना कि वाद की विषय वस्तु में अपने संबंधित तर्क उठाने का अधिकार मिल गया कि मृतक का वास्तविक विधिक प्रतिनिधि है – का औचित्य – प्रतिपादित किया गया : जब किसी लंबित मामले में न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि मृतक के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में अभिलेख पर कौन आएगा, तो निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले न्यायालय यह करेगा डी मामले में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह तय करना होगा कि मृतक का विधिक प्रतिनिधि कौन है – ऐसा किए बिना, न्यायालय मामले के निस्तारण के साथ आगे नहीं बढ़ सकती है – साथ ही, न्यायालय सभी दावेदारों को पक्षकार नहीं बना सकती है – विधिक प्रतिनिधि तय करने के पहलू को भी इस दृष्टि से स्थगित नहीं किया जा सकता है कि अपील के अंतिम निस्तारण के समय गुणागुण के आधार पर निर्णय लिया जाए – विधायन ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि यदि विधिक निर्णय लेने का प्रश्न है एक इच्छापत्रकर्ता का विधिक प्रतिनिधि एक अपीलीय न्यायालय के समक्ष उठता है, तो यह अधीनस्थ न्यायालय को विचारण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रमुख साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ करने और अपने निष्कर्ष को अभिलेख करने का निर्देश दे सकता है कि विधिक प्रतिनिधि कौन है – एफ के बाद विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष पर विचार करने के बाद न्यायालय, अपीलीय न्यायालय निर्णय ले सकता है और मृतक के विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर ला सकता है – संहिता के आदेश XXII, नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार मुद्दे का निर्धारण करने के लिए मामला उच्च न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया।

अपीलों को स्वीकार करते हुए मामले को उच्च न्यायालय मे प्रत्यावर्तित करते हुए, न्यायालय ने

प्रतिपादित किया: 1. किसी लंबित अपील में विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर लाने का मुद्दा तब निपटाया जाना चाहिए जब किसी लंबित मामले में न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि मृतक के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में अभिलेख पर कौन आएगा , मामले में शामिल मूल मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले, यह तय करेगा कि आदेश XXII,

नियम 5 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित तरीके से मृतक का विधिक प्रतिनिधि कौन है। जब न्यायालय के समक्ष कोई प्रश्न उठता है किसी लंबित मामले में कि मृतक के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में कौन अभिलेख पर आएगा, न्यायालय मामले में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने से पहले सबसे पहले यह तय करेगी कि मृतक का विधिक प्रतिनिधि कौन है . यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि जब किसी पक्ष की दूसरी अपील के चरण में मृत्यु हो जाती है और प्रतिद्वंद्वी दावेदार मृतक के विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में है, तो न्यायालय पर पहले निर्णय लेने का बोझ आ जाता है। जो मृतक का विधिक प्रतिनिधि है। ऐसा किए बिना, न्यायालय मामले के निपटारे के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। वहीं, न्यायालय सभी दावेदारों को पक्षकार नहीं बना सकता। गुणावगुण के आधार पर अपील के अंतिम निस्तारण के समय विधिक प्रतिनिधि तय करने के पहलू को भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। [पैरा 10] [526–एच; 527–एसी]

2. यह निर्विवाद है कि प्रक्रियात्मक विधि न्याय को आगे बढ़ाने के लिए हैं। संहिता के अंतर्गत विचार की गई प्रक्रिया जो प्रकृति में अनिवार्य है, उसे न्यायालयों द्वारा छोड़ा या अनदेखा नहीं किया जाएगा। जबकि, वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण ने सीपीसी के आदेश XXII, नियम 5 के तात्पर्य को कमजोर कर दिया है। [पैरा 11] [527–ईएफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2010 की सिविल अपील संख्या 6318।

1993 की द्वितीय अपील संख्या 169 में उच्च न्यायालय, पटना के निर्णय और आदेश दिनांक 24.02.2009 से।

साथ

2010 का सीए संख्या 6319

नागेंद्र राय, आर. वेंकटरमणि, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री प्रेरणा सिंह, रोहित के सिंह, टी महिपाल, आतिशी दीपांकर, संतोष कुमार, सुकुमार, जितेंद्र कुमार, प्रफुल्ल रंजन तिवारी, राजीव रंजन मिश्रा, आतिशी दीपांकर, टी महिपाल, जी उमापति, अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद, सुश्री तरूणा अर्धेंदुमौली प्रसाद , नमित सक्सेना , निर्निमेश दुबे, उपस्थित पक्षकारों के लिए अधिवक्तागण ।

न्यायालय का निर्णय, एन. वी. रमना, जे. द्वारा उदघोषित किया गया।

1. विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें 1993 की दूसरी अपील संख्या 169 में पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 24.2.2009 के अंतरिम आदेश के विरुद्ध निर्देशित हैं। उक्त अपील में, आईए संख्या 7162 से निपटते समय 1999 का और आईए संख्या 8089, 1999, दो आवेदकों द्वारा दायर किया गया था और उनमें से प्रत्येक ने उच्च न्यायालय के समक्ष मृत अपीलकर्ता संख्या 1 का एकमात्र विधिक प्रतिनिधि होने का दावा किया था, उच्च न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दावेदारों के दोनों आवेदनों को स्वीकार कर लिया है और दोनों को अनुमति दी है। उन्हें लंबित सिविल वाद के विषय में अपने–अपने तर्क उठाने होंगे।

2. मामले की उत्पत्ति उत्तरदाताओं द्वारा एक स्वामी शेओ धर्मानंद और दो अन्य के विरुद्ध दायर एक वाद से है, जिसमें घोषणा के अनुतोष की मांग की गई है कि वे अतिचारी हैं और स्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान की परिणामी अनुतोष की मांग कर रहे हैं। इसकी बर्खास्तगी के

परिणामस्वरूप, वादी–उत्तरदाताओं ने उप–न्यायाधीश, भभुआ के समक्ष प्रथम अपील दायर की , जिसे स्वीकार कर लिया गया। पीड़ित उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील के लंबित रहने के दौरान, मूल उत्तरदाताओं में से एक यानी स्वामी शेओ धर्मानंद (उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता संख्या 1) की मृत्यु हो गई। इसके बाद, यहां अपीलकर्ताओं ने दूसरी अपील में खुद को मृतक के वास्तविक चेला और उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने की मांग करते हुए अपने अलग–अलग I.As दायर किए। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 2.7.2008 द्वारा मामले को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम के अंतर्गत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित कर [इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'सीपीसी' के रूप में संदर्भित किया गया]। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.7.2008 का सुसंगत भाग पढ़ता है:

"मृत अपीलकर्ता के विधिक प्रतिनिधि के प्रश्न का निर्धारण करना आवश्यक है। आदेश 22 नियम 5 सीपीसी उपरोक्त प्रश्न के निर्धारण के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है। यह इस प्रकार चलता है : – 5. विधिक प्रतिनिधि के रूप में प्रश्न का निर्धारण: – जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति मृत वादी या मृत उत्तरदाता का विधिक प्रतिनिधि है या नहीं, ऐसा प्रश्न न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। :– बशर्ते कि जहां ऐसा प्रश्न किसी अपीलीय न्यायालय के समक्ष उठता है, वह न्यायालय, प्रश्न का निर्धारण करने से पहले, किसी अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्न का विचारण करने और ऐसे विचारण में दर्ज किए गए साक्षय, यदि कोई हो, उसके निष्कर्ष और उस पर कारण के साथ अभिलेख वापस करने का निर्देश दे सकता है। इसलिए, और अपीलीय न्यायालय प्रश्न का निर्धारण करते समय इसे ध्यान में रख सकती है । इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधान के मद्देनजर, मृत अपीलकर्ता संख्या 1 शेओ धर्मा नंद @ देव शंकर तिवारी के विधिक प्रतिनिधि के निर्धारण का मामला निचली न्यायालय यानी सब जज– I, भभुआ जो प्रश्न की सुनवाई करेगा और इस आदेश की प्राप्ति के दो महीने के भीतर अपने निष्कर्षों और साक्ष्यों, यदि कोई हो, के साथ इस न्यायालय को अभिलेख लौटाएगा।

3. विचारण न्यायालय ने तथ्यात्मक और विधिक दोनों पहलुओं पर मामले में शामिल प्रासंगिक मुद्दों पर विचार करने के बाद 4 दिसंबर, 2008 को एक रिपोर्ट दी है कि स्वामी सत्यानंद महाराज (2010 की सिविल अपील संख्या 6318 में अपीलकर्ता) विधिक प्रतिनिधि हैं। मृतक ने रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेज दी। इससे व्यथित होकर, आवेदक (सी.ए. संख्या 6319/2010 में अपीलकर्ता) ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं और उसी के जवाब में, अन्य आवेदक (2010 की सी.ए. संख्या 6318 में अपीलकर्ता) ने जवाबी हलफनामा दायर किया है। पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने दोनों आवेदकों के आईए की अनुमति देते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया और दोनों को लंबित दूसरी अपील कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी। यहां आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 19 को निकालना उचित होगा जो निम्नलिखित शब्दों में है:

"उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, यह न्यायालय सभी तीन आवेदनों, अर्थात् 1999 की आईए संख्या 7162, 1999 की आईए संख्या 8089 और 2005 की आईए संख्या 357 का निस्तारण करना आवश्यक और उचित समझता है, इस निर्देश के साथ कि दोनों आवेदक, अर्थात्, स्वामी त्रियोगानंद उर्फ राम नारायण प्रसाद (आईए संख्या 7162/1999 के आवेदक) और महंथ सत्यानंद उर्फ रामजी सिंह (आईए संख्या 8089/1999 के आवेदक) को मृत अपीलकर्ता संख्या 1 शेओ धर्मनाद उर्फ देव शंकर तिवारी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए । वे दोनों अपने संबंधित अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने और इस दूसरी अपील की अंतिम

सुनवाई के समय वाद की विषय वस्तु के संबंध में अपने संबंधित तर्क उठाने के हकदार होंगे, लेकिन वे कोई भी मुद्दा उठाने के हकदार नहीं होंगे जो मूल उत्तरदाता–अपीलकर्ता संख्या 1 के रुख, अभिवचन और साक्ष्यों के विपरीत हो सकता है।

4. अब इन अपीलों में हमारे विचार के लिए जो प्रश्न है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने लंबित अपील में दोनों प्रतिद्वंद्वी दावेदारों के आवेदनों को अनुमति देकर उन्हें द्वितीय अपील में अपने–अपने तर्क उठाने का अधिकार देकर सही किया था, बिना यह निर्धारित किए कि कौन आदेश 22 नियम 5 सीपीसी के अंतर्गत मृतक का वास्तविक विधिक प्रतिनिधि है।

5. अपीलकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि उच्च न्यायालय ने विधिक के अंतर्गत निर्धारित प्रश्न का निर्धारण किए बिना कि विधि के प्रावधान कि मृत अपीलकर्ता का विधिक प्रतिनिधि कौन है। मृतक के वास्तविक विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले प्रतिद्वंद्वी दावेदारों द्वारा पसंद किए गए दोनों पक्ष आवेदनों को अनुमति देकर विधि की गंभीर त्रुटि की है। उच्च न्यायालय का आदेश सीपीसी के आदेश 22 नियम 5 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और यह अन्यायपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने सर्वोपरि प्रश्न पर निर्णय लेने के बजाय, दोनों दावेदारों को वाद की विषयवस्तु में अपने–अपने तर्क उठाने का अधिकार देने वाला आदेश पारित कर दिया था। उच्च न्यायालय का आदेश विकृत, न्यायहित में नहीं तथा विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है।

6. उत्तरदाता की ओर से अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समर्थन में तर्क दिया और कहा कि उच्च न्यायालय ने अपील में प्रतिवाद का अवसर देकर दोनों आवेदनों को उचित रूप से स्वीकार किया है।

7. जो मुद्दा विचार के लिए उठता है वह यह है कि जब ऐसे आवेदन न्यायालय के समक्ष दायर किए जाते हैं तो न्यायालय द्वारा क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

8. आदेश 22 नियम 5 के अन्तर्गत एक आवेदन दायर करते समय पालन किए जाने वाले प्रक्रियात्मक पहलू, सीपीसी अब एलआरएस बनाम सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट और अन्य के माध्यम से जलादी सुगुना (मृतक) में इस न्यायालय के रूप में एकीकृत नहीं है, (2008) 8 एससीसी 521 ने सीपीसी के आदेश 22 नियम 5 की व्याख्या निम्नलिखित शब्दों में की है:

"विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के लिए एक आवेदन दाखिल करना, विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के बराबर नहीं है। जब एक एलआर आवेदन दायर किया जाता है, तो न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए और तय करना चाहिए कि विधिक प्रतिनिधियों के रूप में नामित व्यक्तियों को मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभिलेख पर लाया जाना चाहिए या नहीं। न्यायालय द्वारा ऐसा निर्णय आने तक, विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले व्यक्तियों को मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने, न ही मुकदमा चलाने या मामले का बचाव करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई विवाद है कि विधिक प्रतिनिधि कौन है, तो ऐसे विवाद पर निर्णय दिया जाना चाहिए। केवल जब विधिक प्रतिनिधि का प्रश्न न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है और ऐसे विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर लाया जाता है, तो यह कहा जा सकता है कि मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व किया जाता है।

आदेश XXII के नियम IV और V के प्रावधान अनिवार्य हैं। जब किसी अपील में उत्तरदाता की मृत्यु हो जाती है, तो न्यायालय केवल यह नहीं कह सकती कि वह मृत उत्तरदाता की संपत्ति के सभी प्रतिद्वंद्वी दावेदारों को सुनेगी और अपील का निस्तारण करने के लिए आगे बढ़ेगी। न ही यह

विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को अपील में पक्षकार के रूप में शामिल कर सकता है, बिना यह तय किए कि मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व कौन करेगा और गुणावगुण के आधार पर अपील की सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा। न्यायालय इस निर्णय को भी स्थगित नहीं कर सकती कि मृत उत्तरदाता का विधिक प्रतिनिधि कौन है, अपील के साथ गुणागुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। संहिता स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति मृत उत्तरदाता का विधिक प्रतिनिधि है या नहीं, ऐसे प्रश्न का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

हालाँकि नियम V विशेष रूप से यह प्रावधान नहीं करता है कि विधिक प्रतिनिधि का निर्धारण अपील की सुनवाई से पहले गुणागुण के आधार पर किया जाना चाहिए, नियम 4 सपठित नियम 11 से स्पष्ट होता है कि विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के बाद ही अपील सुनी जा सकती है। (जोर दिया गया)

9. उपरोक्त ढांचे में वर्तमान मामले को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने, यह देखने के बाद कि दो व्यक्तिगत आवेदकों ने मृतक महंथ के चेला होने का दावा किया है और उनके कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा कर रहे हैं, 2 जुलाई, 2008 के एक आदेश द्वारा इसे सही ठहराया गया है। सीपीसी के आदेश 22 नियम 5 के अन्तर्गत निर्धारण के लिए मामले को अधीनस्थ न्यायाधीश, भभुआ को भेजा गया। तदनुसार, विचारण न्यायालय ने प्रश्न का निर्णय किया और 4 दिसंबर, 2008 को अपनी रिपोर्ट के साथ मामले को वापस भेज दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष, प्रतिद्वंद्वी दावेदार ने आपत्ति दायर की है और उसी के जवाब में, दूसरे आवेदक ने अपना प्रति शपथपत्र दायर किया है। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने दोनों दावेदारों में से मृतक के विधिक प्रतिनिधि के सवाल पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेने के बजाय, अपने समक्ष मृत अपीलकर्ता के स्थान पर दोनों दावेदारों को प्रतिस्थापित कर दिया।

10. जाहिर है, लंबित अपील में विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर लाने के मुद्दे को आदेश 22 नियम 5 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित तरीके से निपटाया जाना है। स्थापित विधिक स्थिति के संदर्भ से, यह स्पष्ट है कि जब कोई एक लंबित मामले में न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि मृतक के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में अभिलेख पर कौन आएगा, न्यायालय, मामले में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने से पहले, सबसे पहले, यह तय करेगा कि कौन है मृतक का विधिक प्रतिनिधि है । यह भी सुस्थापित है कि जब किसी पक्ष की दूसरी अपील के चरण में मृत्यु हो जाती है और प्रतिद्वंद्वी दावेदार मृतक के विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में है, तो न्यायालय पर पहले निर्णय लेने का भार आ जाता है कि मृतक का विधिक प्रतिनिधि है कौन है । ऐसा किए बिना, न्यायालय मामले के निपटारे के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। वहीं, न्यायालय सभी दावेदारों को पक्षकार नहीं बना सकता। अपील के अंतिम निस्तारण के समय गुणागुण के आधार पर निर्णय लेने की दृष्टि से विधिक प्रतिनिधि तय करने के पहलू को भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि विधि ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि यदि किसी अपीलीय न्यायालय के समक्ष किसी वसीयतकर्ता के विधिक प्रतिनिधि को तय करने का प्रश्न उठता है, तो वह अधीनस्थ न्यायालय को विचारण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रमुख साक्षय, यदि कोई हो, के आधार पर पूछताछ करने और अपने निष्कर्ष को अभिलेख करने का कि विधिक प्रतिनिधि कौन है निर्देश दे सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पर विचार करने के बाद, अपीलीय न्यायालय निर्णय ले सकती है और मृतक के विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर ला सकती है।

11.यह निर्विवाद है कि प्रक्रियात्मक विधि न्याय को आगे बढ़ाने के लिए हैं। संहिता के अंतर्गत वैचारित की गई प्रक्रिया जो प्रकृति में अनिवार्य है, उसे न्यायालयों द्वारा छोड़ा या अनदेखा नहीं किया जाएगा। जबकि, वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण ने सीपीसी के आदेश 22 नियम 5 के अर्थ को कमजोर कर दिया है और यह इस न्यायालय द्वारा जलादी सुगुना (सुप्रा) में प्रतिपादित विधि के विपरीत है। उच्च न्यायालय का ऐसा दृष्टिकोण कायम नहीं रखा जा सकता।

12. यद्यपि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि कथित विधिक प्रतिनिधि यह साबित करने के लिए कुछ रीति–रिवाजों पर भरोसा करते हैं कि क्या कोई गृहस्थ संबंधित संप्रदाय के अंतर्गत गुरु हो सकता है। हमें इस स्तर पर विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर दिए गए उपरोक्त निष्कर्षों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विचारण न्यायालय की उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार करना और तथ्य के विवादित प्रश्न का निर्धारण करना उच्च न्यायालय का काम है। यह नोट करना संदर्भ से बाहर नहीं होगा कि सीपीसी के आदेश XXII नियम 5 के अंतर्गत निर्धारण प्रकृति में संक्षिप्त और सीमित उद्देश्य के लिए है। पक्षकार आवेदनों पर पारित आदेश , किसी विशेष व्यक्ति को विधिक प्रतिनिधि के रूप में निर्धारित करने से अंतिम निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या विधिक प्रतिनिधियों के बीच इस सवाल पर पुनर्निर्णय के रूप में कार्य करता है कि गुरु के रूप में किसे आरोहित होना चाहिए। पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम ध्यान दे सकते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय इस प्रश्न तक ही सीमित होगा कि केवल वाद को जारी रखने के प्रयोजनों के लिए मृतक के स्थान पर किसे अभिलेख पर लाया जाना चाहिए, और इससे आगे कुछ नहीं।

13. उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर देते हैं और आदेश 22 नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार मुद्दे का निर्धारण करने के लिए मामले को वापस उच्च न्यायालय में भेज देते हैं। उच्च न्यायालय गुणागुण के आधार पर प्रश्न का निर्णय करेगा। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर और किसी भी आपत्ति या सामग्री को ध्यान में रखते हुए, जिस पर पक्षकारों भरोसा करती हैं, मृतक स्वामी शेओ धर्मानंद का विधिक प्रतिनिधि कौन है। इसके बाद ही उच्च न्यायालय दूसरी अपील की सुनवाई आगे बढ़ाएगा। हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह इस मामले को जल्द से जल्द उठाए और विधि के अनुसार शीघ्रता से इसका निपटारा करे।

14. अपील से अलग होने से पहले, हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि हमने मामले के गुणागुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। इस निर्णय में हमारे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी को इस न्यायालय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए और उच्च न्यायालय को विधि के प्रावधानों के अनुसार इससे निपटना होगा।

15. उपरोक्त शर्तों में अपीलें स्वीकार की जाती हैं। परिणामस्वरूप, सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाएगा। कोई व्यय नहीं।

देविका गुजराल अपीलें स्वीकार की गई।